न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 63 / 2022

1 शिवभगवान पुत्र नारायण जाति जाट निवासी खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भगवानाराम पुत्र मांगू।
2 सांवरमल पुत्र मांगू।
3 मामचन्द पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 पटवारी हल्का भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आर.ए.एस. राजस्व वाद संख्या 34 / 2021 उनवानी भगवानाराम बनाम मामचन्द आदि दिनांक 14.09.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी।
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

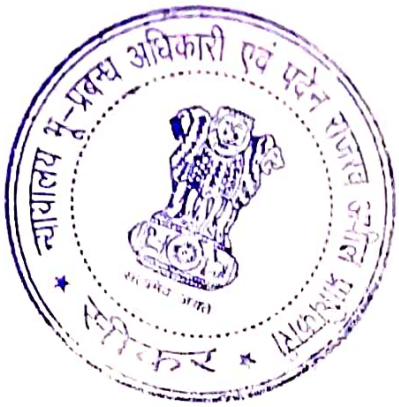

—निर्णय—

दिनांकः— 15.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में ग्राम भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ की तंन में खसरा नम्बर 686,687,688,689 के बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 686,687,688,689 वाके ग्राम भोजासर बड़ा की भूमियां अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 के बहिस्सा बराबर—बराबर की खाते, कब्जे, काश्त की पैतृक भूमियां है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का विवादित भूमियों को कोई हक हिस्सा नही है। अपीलांट के दादा नन्दा पुत्र हुक्मा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के अनुसार प्राप्त हुई है परन्तु विवादित भूमियों की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता मांगू पुत्र हुक्मा के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई। इसके पश्चात विरासत का नामान्तकरण से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम भरा जाकर गलत खातेदारी दर्ज की गई। जरिये नामान्तकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 143 दुरूस्त करके अपीलांट के पिता नारायण पुत्र नन्दा के नाम रिकार्ड दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता फौत होने पर विरासत से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 की विवादित भूमियां 1/2,1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा वस्तुस्थिति को छुपाते हुये विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 2 तथा इसके पूर्व अपने पिता के नाम विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में कम समय तक गलत रूप से अंकित रहे। राजस्व रिकार्ड का हवाला देते हुये दिनांक 12.02.2021 को अपीलाधीन वाद प्रस्तुत किया था। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की तामील विधिवत रूप से नही होने के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट को नोटिस के अभाव में निर्णय की जानकारी नही हुई। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावें। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की पैतृक है। विवादित भूमि विरासत में मुंगा पुत्र हुक्मा से प्राप्त हुई है। संवत 2024–27 निर्बाध रूप से साधिकार चलते रहे इसके पश्चात बिना कोई आदेश के जरिये नामान्तकरण संख्या 143 के द्वारा खातेदारी नारायण पुत्र नन्दा जो अपीलांट व रेस्पोडेंट 3 के पिता के नाम से रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 आज भी परिवार सहित आवास निवास एंव सिंचाई हेतु विधुत कनेक्शन ले रखा है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमियां पूर्व में नन्दा पुत्र हुक्मा की खातेदारी में रही है। इसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2012 से होती है। ऐसी स्थिति में सम्यक सुनवाई के अभाव में पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब देही व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर